पुरानी योजना

योजना का नाम :

निर्माण कामगार बालिका आशीर्वाद योजना

उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

::पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ 'बालिका आशीर्वाद योजना'::

बोर्ड अधिसूचना संख्या- 7596-7727/श0नि0(185)-2011, दिनांक 22.09.2011 द्वारा अधिसूचित।

1. योजना का नाम :- 'निर्माण कामगार बालिका आशीर्वाद योजना'

2. योजना का उद्देश्य :-

समाज में बालकों के सापेक्ष बालिकाओं के निरंतर घटते अनुपात तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य प्रकरण उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के समक्ष गहन चिंतन का विषय रहा है। बालिकाओं को सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच सृजित करने के उद्देश्य से तथा वयस्क विवाह जैसी विधिजन्य व्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकारात्मक परिणित देना इस योजना का उद्देश्य है।

3. पात्रता :-

इस योजना के अंतर्गत वे सभी महिला एवं पुरुष पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे जो उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अद्यतन विधिवत पंजीकृत सदस्य हैं। योजना के अंतर्गत लाभ के लिए ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक का कम से कम 01 वर्ष तक बोर्ड का सदस्य होना अनिवार्य है, और उसके द्वारा अंशदान जमा किया गया हो।

पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार में जन्मी पहली बालिका को इस योजना अंतर्गत लाभ मिलेगा। परिवार में जन्मी दूसरी बालिका को भी इस योजना का लाभ केवल उसी स्थिति में मिल सकेगा जब दोनों संतान बालिका हों, किन्तु प्रथम अथवा द्वितीय प्रसव में एक से अधिक बालिकायें यदि जन्म लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी बालिकाओं को इसका लाभ अनुमन्य होगा। यदि परिवार मे अपनी संतान न होने की स्थिति में बालिका को कानूनी रूप से गोद लिया है, तो उसे प्रथम बालिका मानते हुए, अन्य शर्तों के यथावत रहने की स्थिति में योजना का लाभ अनुमन्य होगा। बालिका के जन्म का पंजीकरण जन्म-मृत्यु पंजिका पर होना अनिवार्य है।

किन्तु प्रतिबंध यह होगा कि यदि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व सम्बन्धित पुत्री का यदि निधन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त योजना अंतर्गत स्वीकृत

हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा और सावधि जमा की धनराशि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कोष में वापस हो जाएगी।

प्रतिबंध यह भी है कि सम्बन्धित बालिका को भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा समान उद्देश्य से चलाई जा रही किसी अन्य योजना का लाभ प्रदत्त न किया गया हो।

4. हितलाभ :-

उपरोक्तानुसार पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में बालिका आशीर्वाद योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म होने पर एकमुश्त धनराशि रू0 20,000/- (बीस हजार मात्र) बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की स्थिति में बालिका को उक्त जमा धनराशि की परिपक्व राशि का भुगतान किया जाएगा। यह सावधि जमा (फिक्स्ड डिपाजिट) सम्बन्धित बालिका के नाम से द्वारा माता-पिता/संरक्षक के नाम से बनाया जाएगा और प्रतिबंध यह होगा कि बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही इसका भुगतान प्राप्त किया जा सकेगा और किसी भी स्थिति में इसे 18 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व इसका भुगतान प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर तथा उसके उस अवधि तक अविवाहित रहने की स्थिति में सम्बन्धित बालिका द्वारा धनराशि जिले के जिलाधिकारी के अग्रसारण से ही सम्बन्धित बैंक से प्राप्त की जा सकेगी। सावधि जमा की धनराशि जिले के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उक्त ब्याज दर वाली योजना में रखी जाएगी।

इस योजना अंतर्गत हितलाभ केवल उसी स्थिति में अनुमन्य हो सकेगा, जब उस कन्या हेतु किसी अन्य समकक्ष शासकीय योजना में हितलाभ प्राप्त न किया गया हो, जहाँ पति एवं पत्नी दोनों ही पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक हैं, तो उन दोनों में से किसी एक को ही यह हितलाभ सुलभ हो सकेगा।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि यदि किसी पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक की अपनी कोई संतान नहीं है और उसने किसी कन्या को विधिवत गोद लिया हो, तो ऐसी स्थिति में गोद ली गई कन्या को भी उपरोक्त अन्य अर्हताओं के पूर्ण होने की स्थिति में केवल एक गोद ली गई कन्या तक ही इस योजना अंतर्गत लाभ अनुमन्य हो सकेगा।

परिवार के समीपस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र पर बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। लाभ पाने के लिए पंजीकृत माता-पिता बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के अग्रसारण से, निकटस्थ खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार अथवा जिला श्रम कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

5- आवेदन प्रकिया :

आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र पर पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक द्वारा समस्त विवरण अंकित करत हुए तथा समस्त वांछित अभिलेखों के साथ निकटस्थ श्रम कार्यालय में अथवा सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी पावती आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करवाई जाएगी। आवेदन पत्र बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, किन्तु एक वर्ष से अधिक किन्तु 15 माह से अनाधिक प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र सचिव, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ही विचारणीय हो सकेंगे। इसके उपरांत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किए जायेंगे।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा:-

1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
2. सम्बन्धित बालिका के जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त आंगंनबाड़ी केन्द्र का प्रमाण पत्र।
4. पुत्री यदि गोद ली हुई है, तो उरासे सम्बन्धित यथा प्रमाणित अभिलेख।
5. निर्माण श्रमिक के परिवार रजिस्टर/राशनकार्ड या उसके समतुल्य अन्य कोई अभिलेख जिससे निर्माण श्रमिक के परिवार का विवरण हो, की फोटोप्रति।

6- हित-लाभ की स्वीकृति हेतु प्रकिया, भुगतान की प्रकिया तथा सूचना का रखरखाव एवं प्रेषण की प्रकिया -

(1)- योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील/विकास खण्ड कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जाएगा।

(2)- जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए, पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए, जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 दिन के अंदर जिलाधिकारी के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3)- जिलाधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों पर स्थलीय जाँच के आदेश दिए जाएंगे। इस जॉच कार्यवाही में जिला स्तरीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी अथवा सम्बन्धित तहसील में कार्यरत श्रम प्रवर्तन अधिकारी को सम्मिलित किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा जाँच के लिए संयुक्त टीम भी गठित की जा सकती है, जिसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी के अतिरिक्त एक अन्य अधिकारी भी सम्मिलित किया जा सकता है।

(4)- जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में जाँच कार्यवाही पूर्ण विवरण सहित तथा संलग्न चेक लिस्ट में समस्त कालम पूर्ण करते हुए, स्पष्ट आख्या पत्रावली पर अंकित करते हुए जिला श्रम कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष उनके आदेशार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

(5)- जिलाधिकारी द्वारा जॉच आख्या प्राप्त होने पर प्रस्तुत आख्या से संतुष्ट होने की स्थिति में योजनानुसार भुगतान के आदेश पारित किए जायेंगे। जाँच अथवा आख्या अपूर्ण अथवा अस्पष्ट होने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा पुनः स्थलीय जाँच के आदेश भी किए जा सकते हैं। यह कार्यवाही जाँच आख्या प्रस्तुत होने के प्रत्येक दशा में 10 दिन के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। इसका उत्तरदायित्व जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी का होगा कि वे समय से पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके उनका आदेश पत्रावली में प्राप्त करके तदनुसार कार्यवाही समय से सुनिश्चित करायें।

(6)- जिलाधिकारी से आवेदन पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में 10 दिन के अंदर जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ पूर्ण विवरण सहित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा इस प्रकार जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ उनके कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम 03 दिन के अंदर, सम्बन्धित लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते में बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अथवा रेखांकित चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। रेखांकित चेक जिसमें लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक का खाता भी अंकित होगा, के माध्यम से भुगतान जिला श्रम कार्यालय द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक को

सुनिश्चित किया जाएगा। जिला श्रम श्रम कार्यालय द्वारा रेखांकित चेक का भुगतान सम्बन्धित श्रमिक को अधिकतम 07 दिन में सुनिश्चित करवाते हुए, जिलाधिकारी को भी अवगत करवाया जाएगा।

(7)- इस प्रकार जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त रेखांकित चेक जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए, लाभार्थी को प्रत्येक दशा में 07 दिन के अंदर उपलब्ध करवाया जाएगा और उससे प्राप्ति रसीद दो प्रतियों में प्राप्त की जाएगी। प्राप्ति रसीद की एक प्रति जिला श्रम कार्यालय में तथा दूसरी प्रति क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में अभिलेखार्थ संरक्षित रखी जायेगी।

(8)- इस समग्र कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

7- कठिनाईयों का निवारण -

योजनाओं के कियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे तथा इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश, आदेश इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

नोट :- ☆ 1 उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश, पत्र संख्या : 2401-2417/भ0नि0बो0(185)-2013, दिनांक 22.08.2012 द्वारा संशोधित।

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **"निर्माण कामगार बालिका आर्शीवाद योजना"** एवं **"निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना"** की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके आदेश संख्या– 857/36-2-11, दिनांक 19.09.2011 के क्रम में एतद्द्वारा निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **"निर्माण कामगार बालिका आर्शीवाद योजना"** एवं **"निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना"** अधिसूचित की जाती है।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

(सीताराम मीना)
सचिव।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांकः 7596-7727 /भवन निर्माण–(185)/2011, दिनांक– 22/9/2011

प्रतिलिपि– *निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–*

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 857/36-2-11, दिनांक 19.09.2011 के क्रम में सूचनार्थ।

संलग्नकः यथोक्त।

(पंकज कुमार)
अपर सचिव।

:: अधिसूचना ::

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या–7596–7727/भवन निर्माण–(185)/2011, दिनांक 22.09.2011 के माध्यम से "निर्माण कामगार बालिका आर्शीवाद योजना" अधिसूचित की गयी थी जिसका बोर्ड की 18वीं बैठक दिनांक 19.11.2012 में नाम परिवर्तित कर बालिका मदद योजना किया गया।

बोर्ड की 36वीं बैठक दिनांक 08.11.2016 द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर शासन के अनापत्ति सं0 543/36–2–2017 दिनांक 12.05.2017 के क्रम में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ चलाई जाने वाली "निर्माण कामगार बालिका मदद योजना" के अन्तर्गत निम्न संशोधन किए गए है:–

प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरांत व्यवस्था
प्रस्तर–4, हितलाभ	पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक को योजना के अंर्तगत प्रथम प्रसव में बालिका के जन्म होने पर एक मुश्त धनराशि रू 20000/–(रू0 बीस हजार मात्र) बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।	पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक को योजना के अंर्तगत प्रथम प्रसव में बालिका के जन्म होने पर हितलाभ की धनराशि रू0 25000/–(रू0 पच्चीस हजार मात्र) बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। जन्म से दिव्यॉग बालिकाओं के संदर्भ में यह धनराशि 50,000/–(रू0 पच्चास हजार मात्र) बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

/

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक– 524 /भ0नि0बो0(185–ए)/17 दिनांक– 12/05/2017

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) को उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. श्रमायुक्त उ0प्र0, कानपुर।
5. प्रमुख सचिव, श्रम/अध्यक्ष, बोर्ड।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या–543/36–2–2017 श्रम अनुभाग–2 दिनांक 12.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।

पुरानी योजना

योजना का नाम :

मातृत्व हितलाभ योजना

उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

::पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ 'मातृत्व हितलाभ योजना'::

बोर्ड अधिसूचना संख्या- पत्र संख्या 911-15/भ0नि0-2010, दिनांक 16.09.2010 द्वारा अधिसूचित।

1. योजना का नामः- मातृत्व हितलाभ योजना

2. योजना का उद्देश्य :-

योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत एवं बोर्ड द्वारा पंजीकृत महिला कर्मकारों को प्रसव के उपरान्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाना है। स्पष्टतः ऐसी कामकाजी महिलायें स्वयं कार्यकर अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं, ऐसी स्थिति में प्रसव के उपरान्त उन्हें पर्याप्त विश्राम एवं उनके पोषण एवं स्वास्थ्य की रक्षा हेतु अनुदान दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

3. पात्रता :-

इस योजना के लिए वे सभी महिला कर्मकार पात्र होंगी जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त योजना का लाभ सम्बन्धित निर्माण श्रमिक के पंजीकरण होने के उपरान्त होने वाले दो प्रसवों तक की सीमा तक ही अनुमन्य होगा। ★[1]

4. हितलाभ :-

लाभार्थी महिला कर्मकार के प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रसव सत्यापित हो जाने की दशा में सम्बन्धित महिला कर्मकार को इस योजना के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि रू0 12,000 का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पुरुष कामगारों की पत्नियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ की परिधि में लाते हुये उन्हें भी कुल रू0 6000/- दो किस्तों में दिये जायेंगे। ★[2]

हितलाभ की प्रथम किस्त का भुगतान प्रसव होने के उपरान्त एवं द्वितीय किस्त का भुगतान बी0सी0जी0 का टीकाकरण पूर्ण होने पर देय होगा।

5. आवेदन प्रक्रिया :-

(1) लाभार्थी महिला कर्मकार या उसके परिवार के किसी सदस्य की ओर से उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु प्रसव के दो माह के अन्दर निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील कार्यालय में तहसीलदार को अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्ति की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित कर्मकार को चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रसव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) दो माह के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में उपयुक्त कारण पाए जाने पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है, किन्तु तीन माह के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

7. हित-लाभ की स्वीकृति हेतु प्रकिया, भुगतान की प्रकिया तथा सूचना का रखरखाव एवं प्रेषण की प्रकिया -

(1)- योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील/ विकास खण्ड कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन के अंदर यथासम्भव जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जाएगा। प्राप्तकर्ता कार्यालय प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के समय चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों की पुष्टि करते हुए तथा समस्त वांछित अभिलेखों को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न होने की दशा में ही प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे ताकि आवेदक निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार को अनावश्यक रूप से दुबारा बुलाने की आवश्यकता न हो। ऐसा

इसलिए भी आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र समय से स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सके।

(2)- जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए, पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए, जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से यथासम्भव 03 दिन के अंदर जिलाधिकारी के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों/संलग्नकों की अभिलेखों के अनुसार पुष्टि कर ली जाए।

(3)- जिलाधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिप्रमाणित अभिलेखों से संतुष्ट होने की स्थिति में योजनानुसार अनुमन्य धनराशि के स्वीकृति के आदेश पत्रावली पर किए जायेंगे। जिलाधिकारी यदि ऐसा आवश्यक/वांछनीय प्रतीत करें, तो प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की स्थलीय जाँच के आदेश भी जिला श्रम कार्यालय के अधिकारी के माध्यम से कर सकते हैं अथवा जिलाधिकारी एक संयुक्त जाँच टीम गठित करते हुए समयबद्ध स्थलीय जाँच करवा सकते हैं। स्वीकृत सम्बन्धी यह कार्यवाही यथासम्भव पत्रावली प्रस्तुत होने के 10 दिन के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी।

(4)- प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत/अस्वीकृत होने की जैसी भी स्थिति होगी, उसकी सूचना प्रपत्र-2 पर आवेदक को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(5)- जिलाधिकारी से आवेदन पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में यथासम्भव 10 दिन के अंदर जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ पूर्ण विवरण सहित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा इस प्रकार जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ उनके कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम 03 दिन के अंदर, सम्बन्धित निर्माण श्रमिक/लाभार्थी के नाम से रेखांकित चेक स्वीकृत धनराशि का उल्लेख करते हुए निर्गत किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी के बैंक खाता नम्बर, शाखा इत्यादि का भी स्पष्ट विवरण अंकित किया जाएगा। इस प्रकार निर्गत चेक सम्बन्धित जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा।

बोर्ड का आगामी छः मास में यह प्रयास होगा कि सम्बन्धित श्रमिक/लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी परंतु जब तक यह व्यवस्था प्रभावी नहीं हो जाती है,तब तक इस प्रस्तर में पूर्व उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(6)- इस प्रकार जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त रेखांकित चेक जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए, लाभार्थी को यथासम्भव 07 दिन के अंदर उपलब्ध करवाया जाएगा और उससे प्राप्ति रसीद दो प्रतियों में प्राप्त की जाएगी। प्राप्ति रसीद की एक प्रति जिला श्रम कार्यालय में तथा दूसरी प्रति क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में अभिलेखार्थ संरक्षित रखी जायेगी।

(7)- इस समग्र कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या-3 संलग्न किया जा रहा है। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

नोट :- ★[1] उ0प्र0 भवन एंवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्याः 8674-8804/भ0नि0बो0(95)-2011, दिनांक 18.11.2011 द्वारा संशोधित।

★[2] उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या : 656-62/भ0नि0बो0(85)-2013, दिनांक 19.07.2013 द्वारा संशोधित।

★[3] उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश, पत्र संख्या : 743-62/भ0नि0बो0(85)-2013, दिनांक 26.07.2013 द्वारा संशोधित।

★[4] उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश, पत्र संख्या : 7409-7500/भ0नि0बो0(95)-2013, दिनांक 16.09.2011 द्वारा विलम्बित प्रार्थना पत्र योजनाओं में उल्लिखित सीमाओं के अन्तर्गत विलम्बमोचन के अधिकार समस्त जिलाधिकारियों को प्रतिनिधायित किये गये है।

—:: अधिसूचना ::—

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ तीन योजनायें– दुर्घटना सहायता योजना, मातृत्व हितलाभ योजना व शिशु हितलाभ योजना की स्वीकृति के कम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके आदेश संख्या–1036/36–2–2010–251(एस0एम)/95 टी0सी0–2 दिनांक 15.09.2010 से अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है। इस प्रकार एतद्द्वारा उक्त तीनों योजनायें यथा दुर्घटना सहायता योजना, मातृत्व हितलाभ योजना व शिशु हितलाभ योजना अधिसूचित की जाती हैं। यह अधिसूचना अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से प्राप्त सहमति के उपरान्त जारी की जा रही है।

(सीताराम मीना)
सचिव।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांक :911-15 /भवन निर्माण–2010 दिनांक : 16/09/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ –

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपयुर्क्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4– अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
5– गार्ड फाइल हेतु।

(पंकज कुमार)
अपर सचिव। 15/09/10

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या– 911–15/भवन निर्माण–2010, दिनांक 16.09.2011 के माध्यम से "**मातृत्व हितलाभ योजना**" अधिसूचित कर लागू की गयीं थी।

तत्क्रम में बोर्ड की 11 वीं बैठक दिनांक 21.07.2011 में लिये गये निर्णय तथा शासन द्वारा जारी की गयी अनापत्ति संख्या– 1189/36–2–11, दिनांक 11.11.2011 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली मातृत्व हितलाभ योजना का लाभ सम्बन्धित श्रमिक के पंजीकरण के उपरान्त होने वाले दो प्रसवों तक सीमित किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार उक्त योजना में शिथिलीकरण अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

(सीताराम मीना)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पंत्राक–5674-5804 /भवन निर्माण–2011( ) दिनांक–15/11/ ,2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त(पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 1189/36–2–11, दिनांक 11.11.2011 के क्रम में सूचनार्थ।

(बी0के0 राय)
उप सचिव, बोर्ड।

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 911–15/भवन निर्माण–2010, दिनांक 16.09.2011 के माध्यम से मातृत्व हितलाभ योजना अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या– 1469/छत्तीस–2–12–251 (एस0एम0)/95टी0सी0 –111, दिनांक 12.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली मातृत्व हितलाभ योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित महिला कर्मकार को रू0 12,000/– का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पुरूष कामगारों के पत्नियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ की परिधि में लाते हुये उन्हे भी कुल रू0 6000/– दो किस्तों में दिये जायेंगे।

योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होगें। पूर्व में प्राप्त आवेदनों पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होगे।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

18/7/13

(शालिनी प्रसाद)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उ0प्र0 भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पंत्राक –656–62 /भ0नि0बो0(85)–2013, दिनांक– 19/7/,2013

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन)उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये बेवसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 1469/छत्तीस–2–12–251(एस0एम0)/95 टी0सी0–111, दिनांक 12.06.2013 के क्रम में सूचनार्थ।

(माला श्रीवास्तव)
अपर सचिव, बोर्ड।

Last mail on 22.9.16 at. 6:16 PM

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण क. . . . . ल्याण बोर्ड,

लेखराज मार्केट–2, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

टेलीफोन नं0:91–522–2344000, फैक्स: 91–522–2344000, ई–मेल: upbocboardkanpur@gmail.com

टोल फ्री नं0 : 18001805412

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या–911–15/भवन निर्माण–2010 दिनांक 16.09.2011 के माध्यम से **"मातृत्व हितलाभ योजना"** अधिसूचित कर लागू की गयी थी।

तत्क्रम में बोर्ड 32वीं बैठक दिनांक 18.11.2015 में लिये गए निर्णय तथा शासन द्वारा जारी की गयी अनापत्ति संख्या–2/2016/1963/छत्तीस–2–2015–251(एस0एम0)/95टी0सी0–।।। दिनांक 12.01.2016 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली मातृत्व हितलाभ योजना मे निम्नवत् संशोधन किया जाता है–

प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्तर	पूर्व व्यवस्था	वर्तमान व्यवस्था
1	2	3
1–हितलाभ	लाभार्थी महिला कर्मकार के प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रसव सत्यापित हो जाने की दशा में सम्बन्धित महिला कर्मकार को इस योजना के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि रू0 12,000/–(रू0 बारह हजार मात्र) का भुगतान दो किश्तों में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पुरूष कामगारों की पत्नियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ की परिधि में लाते हुए उन्हें भी कुल रू0 6,000/– दो किश्तों में दिये जायेंगे।	लाभार्थी महिला कर्मकार के संस्थागत प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं संस्थागत प्रसव सत्यापित हो जाने की दशा में सम्बन्धित महिला कर्मकार को मातृत्व हितलाभ के रूप में उसकी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से 03 माह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी। यदि लाभार्थी महिला श्रमिक प्रसव के पूर्व तीन आवश्यक चिकित्सकीय जांचकरा लेती है तो संस्थागत प्रसव के पूर्व आवेदन करने पर भी हितलाभ दिया जा सकता है। महिला निर्माण श्रमिक को उपरोक्त के अतिरिक्त रू0 1,000/–(रू0 एक हजार मात्र) की धनराशि चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगी। महिला निर्माण श्रमिक के गर्भपात होने की दशा में उसे, उसके 06 सप्ताह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी परन्तु दो बच्चों के जन्म के उपरान्त गर्भपात कराये जाने पर यह हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा। यदि महिला श्रमिक का नसबन्दी ऑपरेशन होता है तो उसे उसके 02 सप्ताह के वेतन के बराबर धनराशि देय होगी। योजना के अंतर्गत पुरूष कामगारों की पत्नियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ की परिधि में लाते हुए उन्हें भी कुल रू0 6,000/–(रू0 छः हजार

O/C

2–आवेदन प्रक्रिया (2)	आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित कर्मकार को चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रसव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।	मात्र) दो किश्तों में दिये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रसव प्रमाण–पत्र (प्रसव के मामले में) तथा अन्य मामलों (गर्भपात या नसबन्दी) में चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक–6359-67/**भ0नि0बोर्ड(85)–2016** **दिनांक–** 22/01/2016

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
2. वित्त नियंत्रक, बोर्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. अपर श्रमायुक्त उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों कों ई–मेल से प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. श्रमायुक्त, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।
7. प्रमुख सचिव, श्रम/अध्यक्ष, बोर्ड।
8. गार्ड फाइल हेतु।
9. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 2/2016 /1963/छत्तीस – 2 – 2015 – 251 (एस0एम0)/95टी0सी0–।।। दिनांक 12.01.2016 के क्रम में सूचनार्थ।

(आर0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव, बोर्ड।

पुरानी योजना

योजना का नाम :

शिशु हितलाभ योजना

उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

::पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ 'शिशु हितलाभ योजना'::

बोर्ड अधिसूचना संख्या- पत्र/ संख्या - 911-15/भ0नि0-2010, दिनांक - 16.09.2010 द्वारा अधिसूचित।

1. योजना का नामः- शिशु हितलाभ योजना

2. योजना का उद्देश्य :-

इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रकियाओं में कार्यरत लाभार्थी के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराये जाने हेतु अनुदान दिया जाना है। ऐसे कर्मकार प्रायः दैनिक वेतनभोगी होते हैं और उनके लिए अपने नवजात बच्चों की उचित देखभाल करना एवं उन्हें समुचित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः नवजात शिशुओं को समुचित/पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु इन लाभार्थी कार्मिकों को अनुदान/अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

3. पात्रता :-

इस योजना के लिए वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त पुष्टाहार योजना का लाभ अधिकतम दो बच्चों की सीमा तक ही देय होगा।

4. हितलाभ :-

(1) लाभार्थी को उक्त हितलाभ वर्ष में एकबार एकमुश्त दिया जाएगा। शिशु के लड़का होने की स्थिति में धनराशि रू0 10,000 प्रति शिशु की दर से देय होगा, किन्तु यदि शिशु लड़की है तो उक्त धनराशि रू0 12,000 वर्ष में एकबार प्रति शिशु की दर से देय होगी। ☆

(2) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष में एकबार एकमुश्त धनराशि रू0 10,000 या रू0 12,000 (जैसी स्थिति हो) प्रति शिशु की दर से शिशु के दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही देय होगी। ★[1]

5. आवेदन प्रक्रिया :-

(1) लाभार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य की ओर से उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु प्रसव के तीन माह के भीतर निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करवाई जाएगी।

(2) द्वितीय वर्ष का हितलाभ प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित शिशु जीवित है।

(3) आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित कर्मकार को चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रसव/जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(4) योजना के अन्तर्गत जन्म के एक वर्ष की अवधि तक प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेंगे। प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में रू0 1000/- प्रतिमाह की दर से कटौती की जायेगी। ★[1]

7. हित-लाभ की स्वीकृति हेतु प्रकिया, भुगतान की प्रक्रिया तथा सूचना का रखरखाव एवं प्रेषण की प्रकिया -

(1)- योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील/ विकास खण्ड कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन के अंदर यथा-सम्भव जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जाएगा। कार्यालय प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के समय चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों की पुष्टि करते हुए तथा समस्त वांछित अभिलेखों को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न होने की दशा में ही प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे ताकि आवेदक निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार को अनावश्यक रूप से दुबारा बुलाने की आवश्यकता न हो। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र समय से स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सके।

प्रयास होगा कि सम्बन्धित श्रमिक/लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी परंतु जब तक यह व्यवस्था प्रभावी नहीं हो जाती है,तब तक इस प्रस्तर में पूर्व उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(6)- इस प्रकार जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त रेखांकित चेक जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए, लाभार्थी को यथासम्भव 07 दिन के अंदर उपलब्ध करवाया जाएगा और उससे प्राप्ति रसीद दो प्रतियों में प्राप्त की जाएगी। प्राप्ति रसीद की एक प्रति जिला श्रम कार्यालय में तथा दूसरी प्रति क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में अभिलेखार्थ संरक्षित रखी जायेगी।

(7)- इस समग्र कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या-3 संलग्न किया जा रहा है। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

नोट :- [1] उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या : 375-81/भ0नि0बो0(84)-2013, दिनांक 25.06.2013 द्वारा संशोधित।

(2)- जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए, पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए, जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से यथा-सम्भव 03 दिन के अंदर जिलाधिकारी के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों/संलग्नकों की अभिलेखों के अनुसार पुष्टि कर ली जाए। यदि आवेदन पत्र द्वितीय वर्ष के हितलाभ के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो अभिलेखों के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि भी कर ली जाएगी कि प्रार्थना-पत्र जिस शिशु के सम्बन्ध में दिया गया है, उसी के संदर्भ में विगत वर्ष का भुगतान स्वीकृत किया गया है तथा सम्बन्धित शिशु के जीवित होने का स्पष्ट उल्लेख आख्या में किया जाएगा।

(3)- जिलाधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिप्रमाणित अभिलेखों से संतुष्ट होने की स्थिति में योजनानुसार अनुमन्य धनराशि के स्वीकृति के आदेश पत्रावली पर किए जायेंगे। जिलाधिकारी यदि ऐसा आवश्यक/वांछनीय प्रतीत करें, तो प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की स्थलीय जाँच के आदेश भी जिला श्रम कार्यालय के अधिकारी के माध्यम से कर सकते हैं अथवा जिलाधिकारी एक संयुक्त जाँच टीम गठित करते हुए समयबद्ध स्थलीय जाँच करवा सकते हैं। स्वीकृत सम्बन्धी यह कार्यवाही यथासम्भव पत्रावली प्रस्तुत होनें के 10 दिन के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी।

(4)- प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत/अस्वीकृत होने की जैसी भी स्थिति होगी, उसकी सूचना प्रपत्र-2 पर आवेदक को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(5)- जिलाधिकारी से आवेदन पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में यथासम्भव 10 दिन के अंदर जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ पूर्ण विवरण सहित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा इस प्रकार जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ उनके कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम 03 दिन के अंदर, सम्बन्धित निर्माण श्रमिक/लाभार्थी के नाम से रेखांकित चेक स्वीकृत धनराशि का उल्लेख करते हुए निर्गत किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी के बैंक खाता नम्बर, शाखा इत्यादि का भी स्पष्ट विवरण अंकित किया जाएगा। इस प्रकार निर्गत चेक सम्बन्धित जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा। बोर्ड का आगामी छः मास में यह

—:: अधिसूचना ::—

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ तीन योजनायें– दुर्घटना सहायता योजना, मातृत्व हितलाभ योजना व शिशु हितलाभ योजना की स्वीकृति के कम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके आदेश संख्या–1036/36–2–2010–251(एस0एम)/95 टी0सी0–2 दिनांक 15.09.2010 से अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है। इस प्रकार एतद्द्वारा उक्त तीनों योजनायें यथा दुर्घटना सहायता योजना, मातृत्व हितलाभ योजना व शिशु हितलाभ योजना अधिसूचित की जाती हैं। यह अधिसूचना अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से प्राप्त सहमति के उपरान्त जारी की जा रही है।

(सीताराम मीना)
सचिव।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांक :911-15 /भवन निर्माण–2010 दिनांक : 16/09/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ –

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपयुर्क्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4– अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
5– गार्ड फाइल हेतु।

(पंकज कुमार)
अपर सचिव। 15/09/10

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 911–15/भवन निर्माण–2010, दिनांक 16.09.2011 के माध्यम से शिशु हितलाभ योजना अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या– 1467/छत्तीस–2–12–251 (एस0एम0)/95टी0सी0–111, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली शिशु हितलाभ योजना के अन्तर्गत निम्न संशोधन किये गये है :–

1. लाभार्थी को हितलाभ वर्ष में एकबार एकमुश्त दिया जायेगा। शिशु लड़का होने की स्थिति में धनराशि रू0 10,000/– प्रतिशिशु की दर से देय होगा, किन्तु यदि शिशु लड़की है तो उक्त धनराशि रू0 12,000/– वर्ष में एकबार प्रतिशिशु की दर से देय होगी।
2. इस योजना के अन्तर्गत वर्ष में एकबार एकमुश्त धनराशि रू0 10,000/– या रू0 12,000/– (जैसी भी स्थिति हो) प्रति शिशु की दर से शिशु के दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही देय होगा।
3. योजना के अन्तर्गत जन्म के एक वर्ष की अवधि तक प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेगे। प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से कटौती की जायेगी।
4. योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होगें। पूर्व में प्राप्त आवेदनों पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होगे।

तदनुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उ0प्र0 भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पंत्राक – 375- 81 /भ0नि0बो0( )–2013, दिनांक–25.6.2013

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन)उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये बेवसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 1467/छत्तीस–2–12–251(एस0एम0)/95 टी0सी0–111, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में सूचनार्थ।

(माला श्रीवास्तव)
अपर सचिव, बोर्ड।

::अधिसूचना::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 911–15/भवन निर्माण–2010, दिनांक 16.09.2011 के माध्यम से **"शिशु हितलाभ योजना"** अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या–1851/36–2–2016/251(एस0एम0)/95टी0सी0–3 दिनांक 03 जनवरी 2017 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली **शिशु हितलाभ योजना** के अन्तर्गत प्रस्तर–4 में निम्न संशोधन किये गये हैः–

1. लाभार्थी को हितलाभ वर्ष में एक बार एकमुश्त दिया जायेगा। शिशु लड़का होने की स्थिति में धनराशि रू0 12,000/–प्रतिशिशु की दर से देय होगा, किन्तु यदि शिशु लड़की है तो उक्त धनराशि रू0 15,000/– वर्ष में एकबार प्रतिशिशु की दर से देय होगी।
2. इस योजना के अन्तर्गत वर्ष में एकबार एकमुश्त धनराशि रू0 12,000/–या रू0 15,000/–(जैसी भी स्थिति हो) प्रति शिशु की दर से शिशु की दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही देय होगा।

   उपरोक्त संशोधन की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी है कि लाभार्थियों को योजनान्तर्गत दिये जाने वाले सभी भुगतानों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर मोड में किया जाना सुनिश्चित करें तथा यदि अभी तक कोई कार्ययोजना न बनायी गयी हो तो यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाकर एक वर्ष में 100 प्रतिशत लाभार्थियों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

   तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः 5472(1) **/भ0नि0बो0(84ए)–2017** **दिनांक** 03/01/2017

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/अप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. श्रमायुक्त उ0प्र0, कानपुर
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 1851/36–2–2016/251 (एस0एम0) /95टी0सी0–3 दिनांक 03 जनवरी 2017 के क्रम में सूचनार्थ।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।

नयी योजना

योजना का नाम :

मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

लेखराज मार्केट–2, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016 (उ0प्र0)

टेलीफोन:91–522–2324000/01, फैक्सः 91–522–2344002, टोल फ्रीः 18001805412

ई–मेलः **upbocboardlko@gmail.com**

::अधिसूचना::

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित मातृत्व हितलाभ, शिशु हितलाभ एवं बालिका मदद योजना को एकीकृत करते हुए नयी योजना ''मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना'' पर शासन के पत्र संख्या–34/2018/1653/36–2–2018–19(जी)/18 दिनांक 20.12.2018 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है। अनापत्ति के क्रम में ''मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना'' अधिसूचित की जाती है।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

संलग्नक–उपर्युक्तानुसार।

(एस0पी0 शुक्ल)
सचिव बोर्ड।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक– 4902 **/भ0नि0बो0(1605)/18,** **दिनांक–**28**/12/2018**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उनकी अनापत्ति संख्या–34/2018/1653/36–2–2018–19(जी)/18 दिनांक 20.12.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
6. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) तथा जनपदीय प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
7. श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड कार्यालय लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड एवं संशोधन करने हेतु प्रेषित।
8. गार्ड फाईल हेतु।

(एस0पी0 शुक्ल)
सचिव बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

1. **योजना का नामः– मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना।**
2. **<u>योजना का उद्देश्यः–</u>**

योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत पात्र लाभार्थियों के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से 02 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक एवं पंजीकृत महिला कर्मकारों एवं पंजीकृत पुरूष कर्मकारों की पत्नियों को प्रसव के उपरान्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाना है। इसके साथ ही बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज मे सकारात्मक सोच सृजित करने तथा वयस्क विवाह जैसी विधिजन्य व्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकारात्मक परिणाम देना योजना का उददेश्य है।

3. **<u>पात्रताः–</u>**

इस योजना के लिए वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा–शर्तें विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि शिशु एवं मातृत्व हितलाभ योजना का लाभ संबंधित निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चों की सीमा तक ही देय होगा।

जबकि बालिका मदद योजना का लाभ परिवार में जन्मी पहली संतान यदि बालिका है, को मिलेगा। परिवार में जन्मी दूसरी बालिका को इसका लाभ उसी स्थिति में मिलेगा जब दोनों सन्तान बालिका हो, अर्थात प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रसव में बालिका का जन्म हुआ हो किन्तु प्रथम एवं द्वितीय प्रसव में एक से अधिक बालिका यदि जन्म लेती है, तो ऐसी स्थिति में सभी बालिकाओं को इसका लाभ अनुमन्य होगा। परिवार में अपनी संतान न होने की स्थिति में बालिका को कानूनी रूप से यदि गोद लिया गया है तो उसे प्रथम बालिका मानते हुए (एक बालिका तक) अन्य शर्तों के यथावत रहने की स्थिति में योजना का लाभ अनुमन्य होगा। इसके साथ ही बालिका के जन्म का पंजीकरण, जन्म–मृत्यु पंजिका पर होना अनिवार्य है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि 18 वर्ष के आयु पूर्ण होने से पूर्व संबंधित बालिका का निधन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा और सावधि जमा की धनराशि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कोष में वापस हो जायेगी। इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त/उपश्रमायुक्त संबंधित बैंक को एफ0डी0 कराते हुए शर्त से लिखित रूप से अवगत करायेंगे। प्रतिबन्ध यह भी है कि संबंधित बालिका को भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा समान उददेश्य से चलायी जा रही किसी अन्य योजना का लाभ प्रदत्त न किया गया हो।

4. **<u>हितलाभ एवं अनुग्रह धनराशि का विवरणः–</u>**

(1) लाभार्थी पुरूष कर्मकार द्वारा प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दशा में पुरूष कामगारों को उनकी पत्नियों के मातृत्व हितलाभ के रूप में रू0 6000/– (छः हजार मात्र) दो किश्तों (3000 प्रत्येक) में दिये जायेंगे।

(2) लाभार्थी महिला कर्मकार के संस्थागत प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं संस्थागत प्रसव सत्यापित हो जाने की दशा में संबंधित महिला कर्मकार को मातृत्व हितलाभ के रूप में उसकी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से तीन माह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी। महिला निर्माण श्रमिक को उपरोक्त के अतिरिक्त रू0 1000/– (एक हजार मात्र) की धनराशि चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगी।

महिला निर्माण श्रमिक के गर्भपात होने की दशा मे उसे, उसके छः सप्ताह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी परन्तु दो बच्चों के जन्म के उपरान्त गर्भपात कराये जाने पर यह हितलाभ अनुमन्य नही है। इसके साथ ही यदि महिला श्रमिक अपना नसबंदी आपरेशन कराती है तो उसे, उसके दो सप्ताह के वेतन के समतुल्य की धनराशि देय होगी।

(3) प्रसव के उपरान्त शिशु के लड़का होने की स्थिति में वर्ष में एक बार एक मुश्त धनराशि रू0 12000/–(बारह हजार मात्र) प्रति शिशु की दर से दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक देय होगी, किन्तु यदि शिशु लड़की है तो उक्त धनराशि रू0 15000/–(पन्द्रह हजार मात्र) वर्ष में एक बार एक मुश्त, दो वर्षों तक प्रति शिशु की दर से देय होगा।

(4) परिवार में पहली बालिका के जन्म होने पर एक मुश्त धनराशि रू0 25000/–(पच्चीस हजार मात्र) बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं के संदर्भ में यह धनराशि रू0 50,000/–(पच्चास हजार मात्र) बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। यह सावधि जमा संबंधित बालिका के नाम से माता–पिता/संरक्षक के नाम से बनाया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तथा उसके, उस अवधि तक अविवाहित रहने की स्थिति में बालिका को उक्त जमा धनराशि की परिपक्व राशि का भुगतान संबंधित बालिका द्वारा धनराशि जिले के जिलाधिकारी के अग्रसारण से ही संबंधित बैंक से प्राप्त की जा सकेगी। सावधि जमा की धनराशि जिले के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उच्च ब्याज दर वाली योजना में रखी जायेगी। जहाँ पति एवं पत्नी दोनो ही पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक है तो उन दोनों में से किसी एक को ही हितलाभ अनुमन्य होगा। परिवार के समीपस्थ आँगबाड़ी के केन्द्र पर बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत माता–पिता को

बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित आँगनबाड़ी कायकर्ती के अग्रसारण से, प्रस्तुत किया जायेगा।

5. **<u>आवेदन प्रक्रिया :–</u>**

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक द्वारा समस्त विवरण अंकित करते हुए तथा समस्त वांछित अभिलेखों के साथ प्रसव के एक वर्ष के भीतर निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा संबंधित तहसील के तहसीलदार अथवा संबंधित विकासखण्ड कार्यालय के खण्ड विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदन के पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(1) पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पहचान पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति।

(2) शिशु (बालक/बालिका) के जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति।

(3) चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रसव प्रमाण पत्र (प्रसव की स्थिति में) तथा गर्भपात तथा नसबंदी की स्थिति में चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

(4) आगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त आगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र।

(5) द्वितीय वर्ष का हितलाभ प्राप्त करने के लिए शिशु के जीवित होने का प्रमाण पत्र।

(6) पुत्री यदि गोद ली हुयी है तो उससे संबंधित यथा प्रमाणित अभिलेख।

(7) निर्माण श्रमिक के परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड या उसके समतुल्य अन्य कोई अभिलेख, जिसमें निर्माण श्रमिक के परिवार को पूर्ण विवरण हो की फोटो प्रति।

(8) आधार एवं बैंक पास बुक की फोटो प्रति।

6. **<u>हित–लाभ की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया तथा सूचना का रखरखाव एवं प्रेषण की प्रक्रियाः–</u>**

(1) योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील/विकास खण्ड कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन के अंदर यथा सम्भव जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जाएगा। प्राप्तकर्ता कार्यालय प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के समय चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों की पुष्टि करते हुए तथा समस्त वांछित अभिलेखों को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न होने की दशा में ही प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे ताकि आवेदक/निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार को अनावश्यक रूप से दुबारा बुलाने की आवश्यकता न हो। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र समय से स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सके।

(2) जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए, पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए, स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से यथा सम्भव 03 दिन के अंदर स्वीकृतकर्ता के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों/संलग्नकों की अभिलेखों के अनुसार पुष्टि कर ली जाए।

(3) स्वीकृति के तीन दिन के अंदर धनराशि का स्थानांतरण लाभार्थी के बैंक में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कर दिया जायेगा।

(4) प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत/अस्वीकृत होने की जैसी भी स्थिति होगी उसकी सूचना प्रपत्र–2 पर आवेदक को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(5) योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे। क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

R Yadav
28/12/18.

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

द्वितीय तल, ए0 एवं डी0 ब्लाक, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ– 226010 (उ0प्र0)
टेलीफोन 91–522–2723921, टोल फ्री: 18001805412
ई–मेल: upbocboardlko@gmail.com

::अधिसूचना::

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या : 4902/भ0नि0बो0(1605)/18, दिनांक : 28.12.2018, के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित **"मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना"** अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या : 317/2019/36–2–2019(जी)/18 श्रम अनुभाग–2, दिनांक : 27.06.2019 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है। शासन द्वारा प्राप्त अनापत्ति के क्रम में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ चलाई जाने वाली **"मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना"** के अन्तर्गत निम्न संशोधन किए गए हैं:–

प्रतवित संशोधन हेतु प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
1	2	3
प्रस्तर–03 (पात्रता) पैरा–02	03. "बालिका मदद योजना का लाभ परिवार में जन्मी पहली संतान यदि बालिका है, को मिलेगा। परिवार में जन्मी दूसरी बालिका को इसका लाभ उसी स्थिति में मिलेगा, जब दोनों संतान बालिका हों"।	03. "पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार में जन्मी पहली बालिका को इस योजना के अन्तर्गत लाभ मिलेगा, परिवार में जन्मी दूसरी बालिका को भी इस योजना का लाभ केवल उसी स्थिति में मिल सकेगा, जब दोनों संतान बालिका हों"।

संलग्नक–उपर्युक्तानुसार।

(एस0पी0 शुक्ल)
सचिव, बोर्ड।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ
पत्रांक : 1218–26 /भ0नि0बो0(1605)/19, दिनांक : 2–7–19
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, श्रम अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन को उनकी अनापत्ति संख्या : 317/2019/36–2–2019–19(जी)/18, दिनांक : 27.06.2019 के क्रम में सूचनार्थ।

6. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त(पदेन) तथा जनपदीय प्रभारी श्रमा प्रवर्तन अधिकारियों, उ0प्र0 को उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
7. श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
9. गार्ड फाइल में संरक्षित करने हेतु।

(एस0पी0 शुक्ल)
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

द्वितीय तल, A&D ब्लाक, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
टेलीफोनः91–522–2324000/01, फैक्सः 91–522–2344002, टोल फ्रीः 18001805412
ई–मेलः upbocboardlko@gmail.com

–:अधिसूचनाः–

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या–4902/भ0नि0बो0(1605)–18 दिनांक 28.12.2018 के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित **"मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना"** अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर अनापत्ति संख्या–12/2023/I/446979/2023 श्रम अनुभाग–2 दिनांक 21.12.2023 के क्रम में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ चलाई जाने वाली **"मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना"** के अंतर्गत निम्नवत् संशोधन किए गए हैः–

प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित प्रस्तर के उपरान्त व्यवस्था
1	2	3
प्रस्तर–03 पात्रता (पैरा–1)	इस योजना के लिए वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा–शर्तें विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि शिशु एवं मातृत्व हितलाभ योजना का लाभ संबंधित निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चों की सीमा तक ही देय होगा।	इस योजना के लिए वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा–शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो तथा पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम एक वर्ष (365 दिन) बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि शिशु एवं मातृत्व हितलाभ योजना का लाभ संबंधित निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चों की सीमा तक ही देय होगा।

योजना के अंतर्गत उक्त संशोधन अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे। उक्त संशोधन के अतिरिक्त अन्य प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेंगे।

कृपया संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(निशा अनंत)
सचिव, बोर्ड।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ

पत्रांक– 5920-27/भ0नि0बो0(1605)/23, दिनांक– 22/12/2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उनकी अनापत्ति संख्या–12/2023/I/446979/2023 श्रम अनुभाग–2 दिनांक 21.12.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
6. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) तथा जनपदीय प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
7. श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड कार्यालय लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. गार्ड फाईल हेतु।

22/12/2023
(निशा अनंत)
सचिव, बोर्ड।